इन तीनों कोर्ट्स के लिए एक डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेस होना चाहिए, जहां से फेरी चले और वकीलों को समय पर कोर्ट्स में पहुंचने में कोई दिक्कत न आए और जो मुवक्किल अपने मुकदमे लड़ने आते हैं, उनको भी कोई दिक्कत न आए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Kunwar Ratanjeet Pratap Narayan Singh: Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Radha Mohan Das Agrawal (Uttar Pradesh), Shri Neeraj Shekhar (Uttar Pradesh) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा, "Need to address the problem of water in Morni Hills, Haryana."

Need to address the problem of water in Morni Hills, Haryana.

श्री कार्तिकेय शर्मा (हरियाणा) : माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे हरियाणा से जुड़े इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हरियाणा राज्य में पथरीली जमीन की तरफ जो पहाड़ी इलाका पड़ता है, खासकर वहां पर ग्राउंडवाटर रिसोर्स की बहुत समस्याएं रहती हैं, जो कि खासकर पंचकूला, कालका, मोरनी हिल्स क्षेत्र के अंदर है। मैं केंद्र सरकार की राष्ट्रीय जल मिशन और अमृत 2.0 जैसे प्रयासों की तारीफ करना चाहता हूं। साथ ही हरियाणा सरकार की मेहनत की भी सराहना करता हूं, जो कालका, मोरनी हिल्स क्षेत्र अंबाला और पंचकूला जैसे इलाकों में पीने के पानी, खेती, उद्योगों और अन्य चीज़ों के लिए जहां पानी की आवश्यकता है, उसके लिए काम कर रही है।

महोदय, मैं सदन का ध्यान इस चीज़ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पानी, वैसे तो राज्य का विषय है और हरियाणा ने उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाने का काम किया है, लेकिन पानी के जो स्रोत हैं, चाहे उनकी जो schematics हैं, जहां नक्शा बनने की बात हो, कमी वाले इलाकों को चिन्हित करने की बात हो, योजना तैयार करने की बात हो, इन सब चीजों को लेकर वहां पर केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय के साथ ही काम हो सकता है। यहां पर जटिल परिस्थितियां होने की वजह से, जलवायु परिवर्तन और बारिश की कमी की वजह से ये परिस्थितियों और कठिन बन जाती हैं। उनकी जो दिक्कतें और समस्याएं हैं, खासकर जो पहाड़ी इलाकें हैं, वहां किसानों को अधिक दिक्कतें आती हैं।

मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों से हरियाणा सरकार के अधिक सहयोग की उम्मीद रखता हूं, ताकि जो क्षेत्र वंचित रह गए हैं, उन तक भी पानी पहुंच सके, चाहे वह किसानों के लिए हो, चाहे घरों के लिए हो। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को राज्य सरकार की पहल के साथ मिला देने से हमारे जो funds हैं, उनको dovetail किया जा सकता है, ताकि जिस मंशा से केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही हैं और अगर कहीं उसमें कमी रह रही है, तो उसको पूरा किया जा सके।

सर, मेरे कुछ सुझाव हैं। पहला, अमृत भारत और राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कालका, अंबाला और पंचकूला जैसे पानी की कमी वाले इलाकों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए और नल से पानी पहुंचाने में प्रोजेक्ट्स को गति दी जाए। दूसरा, water testing laboratories के लिए अमृत 2.0 के तहत तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि पानी की गुणवत्ता आसानी से जांची जा सके। तीसरा, अमृत सरोवर मिशन के तहत हमारे कुओं, तालाबों, बावरियों और झीलों को फिर से पुनर्जीवित किया जाए और उनको पुनर्जीवित करने के लिए प्रोजेक्ट्स की डीपीआर तैयार की जाए, ताकि उन प्रोजेक्ट्स की monitoring हो सके और सोशल ऑडिट जैसे कार्यक्रमों के द्वारा नियमित तरीके से उनके ऊपर monitoring की जा सके। चौथा, केंद्रीय भूजल बोर्ड के जरिए भूजल संसाधनों का नक्शा (mapping of ground water resources) बनाया जाए, जिससे water aquifers को rejuvenate करने में सहयोग होगा। पांचवां, पानी के दोबारा इस्तेमाल और संरक्षण के लिए हरियाणा की circular economy बनाने में सहायता की जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Kartikeya Sharma: Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Concern over problems faced by women in availing the benefits of 'PM Silai Machine Yojana' - Shri Mahendra Bhatt.

Problems being faced by women in availing the benefits of 'PM Silai Machine Yojana

श्री महेंद्र भट्ट (उत्तराखंड) **:** माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, मैं आपका ध्यान सरकार की फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना में महिलाओं को हो रही परेशानी की ओर दिलाना चाहता हूं। भारत सरकार द्वारा बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होने तथा श्रमिकों के परिवारों में खुशहाली रखने के लिए हर राज्य में 50 हजार से अधिक जरूरतमंद महिलाओं के लिए, जिनकी आयु 20 वर्ष से 40 वर्ष है, संपूर्ण देश में फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना चलाई जा रही है। अनेक राज्य हैं, जहां पर महिलाओं को श्रमिक रूप में काम करने के लिए घरों से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है तथा महिलाएं रोजगार के लिए काम करने की इच्छुक होती हैं। इसके लिए सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है। उद्देश्य स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसका लाभ शहरी एवं ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को प्राप्त होता है। जहां शहरी क्षेत्रों में सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। योजना का पंजीकरण भले ही ऑनलाइन आवेदन से कर दिया गया है, परंतु श्रम विभाग के भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों की जांच में काफी समय लग जाता है तथा इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की स्थिति भी बनी रहती है।